Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान :– हजारीनाथ बनाम राजाराम व अन्य

किस्म मुकदमा :– प्रा0पत्र अ0धारा0 8(2)कोलो.एक्ट व 251(क)आरटीए

प्रकरण संख्या :– 197/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04/02/2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी नाम से चक 2 आर.एम खाता नं0 92/69 प0न0 154/10 (34) कि0न0 1 ता 25/5.428 है0 क0/अ0क0 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जिसमें से कि0न0 1 ता 8 में माईनर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन मौका पर माईनर चल नही रहा है। इसी प्रकार आगे इस चक 2 आर.एम. प0न0 154/9 कि0न0 21,22, प0न0 154/1 कि0न0 17 ता 20,24,25, प0न0 134/57 कि0न0 9 ता 18 व चक 3 आर.एम. के प0न0 134/49 कि0न0 2 ता 4,6,7 में माईनर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। माईनर मौका पर बना नही है। माईनर की भूमि का ग्रामीण रास्ता के रूप में प्रयोग कर रहें हैं। अतः उक्त भूमि को आराजीराज दर्ज कर रास्ता स्वीकृत किया जावें एवं इसके अलावा निवेदन किया कि चक 3 आर.एम में वनविभाग के नाम की प0न0 133/56 कि0न0 21, 22 के दक्षिण दिशा व अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के प0न0 133/48 कि0न0 21 ता 25 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में 1 बिस्वा चौड़ाई में नया रास्ता मंजूर किया जावें ताकि प्रार्थी व ग्रामीण चक 3 आर.एम प0न0 134/40 कि0न0 25 में स्वीकृत रास्ता में प्रवेश कर सकें।जो आगे पक्की सड़क जो ग्राम रघुनाथपुरा की ओर जाती है। बदले में प्रार्थी अप्रार्थी नं0 1 व 2 को डीएलसी दर से राशि देने के लिये सहमत हैं। प्रार्थी एवं अन्य ग्रमीणो को ग्राम रघुनाथपुरा में जाने हेतु अन्य रास्ता नही है। नित रोज चक 2 आरएम के काश्तकारो द्वारा उक्त रास्ता को बन्द कर दिया जाता हैं। साथ ही प्रार्थी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि वोह चक 2 आरएम के प0न0 154/9 कि0न0 21 ता 25 एवं प0न0 154/1 कि0न0 17 ता 20 में मंजूरशुदा रास्ता से होकर प0न0 134/57 कि0न0 16 से होता हुआ माईनर की भूमि में कि0न0 9 से निकलते हुये चक 3 आर.एम. प0न0 134/39 कि0न0 6 में प्रवेश करता हुआ कि0न0 3 से आगे प0न0 133/56 कि0न0 22,21 एवं प0न0 133/48 कि0न0 25 ता 21 में होते हुये प0न0 133/40 कि0न0 25 में मंजूरशुदा रास्ता में प्रवेश करता हैं। प0न0 134/49 के कि0न0 2,3,4,6,7 में स्थित चालू रास्ता को 1 माह पूर्व अप्रार्थी नं0 3 भागीरथ द्वारा बन्द कर दिया है। जिसे श्रीमान तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर खुलवा दिया था जिसे पुनः बन्द करने पर प्रार्थी को आवागमन का रास्ता बन्द हो चुका है। विकल्प के तौर पर प्रार्थी व अन्य काश्तकारो को कोई अन्य रास्ता नही हैं। अतः चक 2 आर.एम. प0न0 154/57 कि0न0 9 ता 18 में पूर्व से पश्चिम चक 3 आर. एम प0न0 134/49 कि0न0 3,4,6,7 में स्थित माईनर की भूमि को आराजीराज दर्ज कर रास्ता स्वीकृत किया जावें इसके अलावा वन विभाग के नाम चक 3 आर.एम प0न0 133/56 कि0न0 21,22 के दक्षिण दिशा में की पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकार किया जावें व अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम प0न0 133/48 कि0न0 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी नं0 3 ने तहसील से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.12.2019 की ओर ध्यान इंगित करवाते हुये बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि अप्रार्थी नं0 3 के नाम से नही है। मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त रास्ता के अलावा ग्रांम रघुनाथपुरा में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही होना बताया गया हैं जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की दक्षिण दिशा के प0न0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

154/11 कि0न0 1,10,11 में ग्राम रघुनाथपुरा में जाने वाली सड़क पर मिलान करने हेतु निकटतम रास्ता उपलब्ध है। साथ ही अप्रार्थी नं0 3 के अभिभाषक ने बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चक 3 आर.एम प0न0 133/56 कि0न0 21,22 में एवं माईनर के नाम दर्ज भूमि को आराजीराज कर रास्ता स्वीकृत करने की मांग की हैं।उक्त भूमि वन विभाग के नाम से हैं एवं वन विभाग की भूमि किसी भी रूप में आंवटन नही की जा सकती है एवं माईनर की भूमि को प्रार्थना पत्र 251 (क) के अन्तर्गत आराजीराज दर्ज नही किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आरटीए के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खारीज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। तहसील से प्राप्त मौका की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा चक 2 आर.एम. प0न0 154/57 कि0न0 9 ता 18 में पूर्व से पश्चिम चक 3 आर.एम प0न0 134/49 कि0न0 3,4,6,7 में स्थित माईनर की भूमि व वन विभाग के नाम चक 3 आर.एम प0न0 133/56 कि0न0 21,22 के दक्षिण दिशा में की पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ाई में व अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम प0न0 133/48 कि0न0 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है। जो कि 4 मुरब्बा लम्बा है। धारा 251 (क) आरटीए के अनुसार किसी भूधारी द्वारा अपनी जाते में जाने हेतु रास्ता का अभाव होने व अत्याधिक जरूरत होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता हैं जबकि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित प0न0 154/11 कि0न0 1,10,11 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जो कि निकटतम रास्ता है साथ ही प्रार्थी द्वारा वन विभाग की भूमि में रास्ता स्वीकार करने व माईनर की भूमि को आराजीराज दर्ज करने की मांग की है। वन विभाग की भूमि रास्ता के रूप में आंवटन नही की जा सकती हैं एवं माईनर की भूमि प्रार्थना पत्र 251 (क) आरटीए के माध्यम से आराजीराज दर्ज करने का प्रावधान कानून में अंकित नही है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आरटीए के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खारीज किया जाना उचत समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 8 (2) कोलो. एक्ट सहपठित धारा 251 (क) आरटीए निराधार होने के कारण खारीज फरमाया जाता हैं। पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.12.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: